सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

UCMS/2020/00206

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मुख्तयार सिंह पुत्र शेर सिंह जाति राय सिख निवासी गांव राणा तहसील व जिला फाजिल्का ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी ने रसीद की फोटा प्रति पेश की है। प्रार्थी ने शपथ पत्र में मूल रसीद घर में रखकर कहीं भूल जाने का एवं नहीं मिलने का उल्लेख कर निवेदन किया है कि मेरी माता जग्गो बाई पत्नी शेर सिंह जाति राय सिख निवासी वार्ड नं 2, 4बी बडी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 27.04.1993 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 10.08.1993 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 27.04.1993 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह सगन लाल पुत्र बाग चंद एवं बब्बर सिंह उर्फ शौंका सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री गुरप्रीत सिंह अधिवक्ता ने की है।अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। 17/11/2020

जिला पंजीयक महोदय

17/11